

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 194 / 2024

तारीख रजू :- 5.07.2024

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024/286

उनवान


गीता पत्नि हरदयाल जाति जाटव निवासी मुण्डाकापुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—वादीया

बनाम

भारत पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी मुण्डाकापुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण 04

दिनांक	फर्द अहकाम
5-7-2024	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री रणजीत सिंह गुर्जर एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.08.2024 को पेश हो।</p> <p align="right">  (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली </p>
13 ⁸ / ₂₄	<p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 12-12-24 को पेश हो।</p>
12 ¹³ / ₂₄	<p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 13-3-25 को पेश हो।</p>
13 ³ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/10/24 को पेश है।</p>
30 ¹⁰ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवेदन दिलाने पर श्री वादी एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए अतः मु. नं. 194/2024 उनवान गीता बनाम भारत दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अदम्य पैरवी अदम्य हजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल श्रुत होकर बाद तमनील नं. से कम ही जानक दायिल इफतार हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>